NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

M.P.S.E. - 11

विश्व मामलों में यूरोपियन यूनियन

(The European Union in World Affairs)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Ved Prakash Sharma,* M.A. (Pol. Science)

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

<u>*Content*</u>

विश्व मामलों में यूरोपियन यूनियन

(The European Union in World Affairs)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1
Question Paper—December-2023 (Solved) 1
Question Paper—June-2023 (Solved) 1
Question Paper—December-2022 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1
Question Paper—December, 2019 (Solved) 1
Question Paper—June, 2019 (Solved) 1
Question Paper—December, 2018 (Solved) 1-2
Question Paper—June, 2018 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	यूरोपीय संघटन का इतिहास तथा विकास (History and Evolution of European Integration)	1
2.	संघटन के सिद्धान्त (Theories of Integration)	12
3.	यूरोपीय संघ की संस्थाएँ (Institutions of European Union)	20
4.	यूरोपीय संघ में निर्णय-निर्माण (Decision-Making in European Union)	29
5.	एकल यूरोपीय अधिनियम तथा एकल बाजार (Single European Act and Single Market)	34

6. संधियाँ : मैस्टरिक संधि, अमस्टरडम संधि, नाईस संधि तथा अन्य संधियाँ, यूरोपीय सांविधानिक संधि 46
(Treaties: Maastricht Treaty, Amsterdam Treaty, Nice Treaty and Subsequent Treaties, European Constitutional Treaty)

7. आर्थिक एवं मौद्रिक संघ 58
(Economic and Monetary Union – EMU)

8. यूरोपीय संघ के सदस्य-राज्य : जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूरोपीय एकीकरण 74
(Member States of the EU: France, Germany, The United Kingdom and European Integration)

9. साझा कृषि नीति 82
(Common Agricultural Policy)

10. साझा विदेश तथा सुरक्षा नीति 91
(Common Foreign and Security Policy-CFSP)

11. यूरोपीय संघ का विस्तार 98
(Enlargement of the European Union)

12. यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन तथा जापान 108
(The European Union, United States, Russia, China and Japan)

13. भारत तथा यूरोपीय संघ 117
(India and the European Union)

14. वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन तथा यूरोपीय संघ 129
(Globalization, WTO and EU)

15. तुलनात्मक क्षेत्रीय एकीकरण 142
(Comparative Regional Integration)

■■

Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers

Published by:

NEERAJ
PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

विश्व मामलों में यूरोपियन यूनियन

(The European Union in World Affairs)

M.P.S.E.-11

समय : 2 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 50*

***नोट :** प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

खण्ड-I

प्रश्न 1. यूरोपीय संघ के विकास और उन कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण पूरे यूरोप में एक आम बाजार का निर्माण हुआ।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'यूरोपीय समुदाय का उद्भव तथा विकास', पृष्ठ-2, 'एकल यूरोपीय अधिनियम'

प्रश्न 2. यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत के रूप में संघवाद का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-13, 'संघवाद'

प्रश्न 3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-76, 'ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ'

(ख) यूरोपीय सुरक्षा और रक्षा नीति

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-94, 'यूरोपीय सुरक्षा तथा रक्षा नीति'

प्रश्न 4. यूरोपीय संघ का पूर्व की ओर विस्तार के कारण, संबंधित मुद्दे और उनके निहितार्थ का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-103, प्रश्न 2, पृष्ठ-106, प्रश्न 3

प्रश्न 5. पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में यूरोपीय संघ की पहल और भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-14, पृष्ठ-139, प्रश्न 6, पृष्ठ-134, 'यूरोपीय संघ और पर्यावरण संबंधी मुद्दे', पृष्ठ-135, 'जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय संघ की पहल'

खण्ड-II

प्रश्न 6. यूरोपीय संघ और रूस के संबंध की प्रमुख विशेषताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-113, प्रश्न 2

प्रश्न 7. यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच अभिसरण और विचलन के क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-108, 'विदेश नीति सहयोग : अभिसरण तथा अपसरण', पृष्ठ-113, प्रश्न 1

प्रश्न 8. भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध के अभ्युदय और विकास की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-13, पृष्ठ-122, प्रश्न 1, पृष्ठ-123, प्रश्न 2

प्रश्न 9. यूरोपीय एकीकरण और आसियान (ASEAN) संबंधों के स्वरूप का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-15, पृष्ठ-146, प्रश्न 1

प्रश्न 10. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) यूरोपीय आयोग (European Commission)

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-21, 'यूरोपीय आयोग'

(ख) गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से यूरोपीय संघ की विकास नीति

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-14, पृष्ठ-138, प्रश्न 4

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

विश्व मामलों में यूरोपियन यूनियन

M.P.S.E.-11

(The European Union in World Affairs)

समय : 2 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 50*

नोट : *प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. यूरोपियन समुदाय के गठन तथा वैश्विक व्यापार के उसके निहितार्थ की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'यूरोपीय समुदाय का गठन', पृष्ठ-5, प्रश्न 2

प्रश्न 2. यूरोपियन एकीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए सिद्धांतों तथा दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-12, 'संघटन संबंधी सिद्धांत', पृष्ठ-17, प्रश्न 3, प्रश्न 4, पृष्ठ-18, प्रश्न 5, प्रश्न 6

प्रश्न 3. एकल यूरोपीय बाजार के निर्माण में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-40, प्रश्न 1

प्रश्न 4. यूरोपीय यूनियन के गठन के लिए अग्रणी विभिन्न सन्धियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-53, प्रश्न 1, पृष्ठ-54, प्रश्न 2, पृष्ठ-55, प्रश्न 3, प्रश्न 4

प्रश्न 5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए–

(क) यूरोपीय रक्षा एवं सुरक्षा नीति

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-92, 'साझा विदेश तथा सुरक्षा नीति का विकास'

(ख) सुरक्षा तथा आर्थिक मुद्दों पर रूस के साथ यूरोपियन यूनियन के संबंध

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-110, 'राजनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी मामले', 'व्यापार तथा आर्थिक संबंध'

भाग-II

प्रश्न 6. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच उभरते आर्थिक सहयोग की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-13, पृष्ठ-123, प्रश्न 2

प्रश्न 7. पर्यावरण पर यूरोपीय यूनियन विकास सहयोग चिन्ताओं के उद्देश्यों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-14, पृष्ठ-134, 'यूरोपीय संघ तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दे'

प्रश्न 8. अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ यूरोपियन यूनियन संबंध की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-15, पृष्ठ-142, 'यूरोपीय संघ का क्षेत्रीय एकीकरण', पृष्ठ-143, यूरोपीय संघ तथा आसियान', पृष्ठ-144, 'यूरोपीय संघ तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस)'

प्रश्न 9. यूरोपियन यूनियन न्यायालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-22, 'यूरोपीय न्यायालय', पृष्ठ-25, प्रश्न 5

प्रश्न 10. यूरोपीय यूनियन तथा उसके संस्थानों में निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-31, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, पृष्ठ-32, प्रश्न 4

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

विश्व मामलों में यूरोपियन यूनियन
(The European Union in World Affairs)

यूरोपीय संघटन का इतिहास तथा विकास
(History and Evolution of European Integration)

1

परिचय

यूरोपीय संघ एक अनुपम संस्था है, यह न तो एक परिसंघ है और न ही संघ। यह संघ और परिसंघ के बीच की एक संस्था है। यह एक अधिराष्ट्रीय संस्था है, स्वतंत्र यूरोपीय राज्यों का एक ऐसा संगठन जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह माना कि यूरोपीय राज्यों में आपसी युद्ध विनाशकारी सिद्ध होगा। यदि वे विश्व स्तर पर राष्ट्रों के पारम्परिक महत्त्व को बनाए रखना चाहते हैं, तो इनका एक-दूसरे के विरोधी हितों में विलय आवश्यक है। युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों के सामने दो ही विकल्प थे 'इकट्ठे हो जाओ या नष्ट हो जाओ'। यूरोपीय देशों ने इकट्ठे होने के विकल्प को चुना तथा अनेक संधियां एवं समझौते किए। 1992 में इनकी परिणति यूरोपीय संघ के रूप में हुई।

इस अध्याय के अंतर्गत यूरोपीय संघ की पृष्ठभूमि, उद्‌भव तथा विकास, यूरोपीय संघ के निर्माण तथा विकास, उद्देश्य कार्य आदि जिनके लिए यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ आदि की चर्चा की गई है।

अध्याय का विहंगावलोकन

यूरोपीय समुदाय का उद्‌भव तथा विकास

एकीकृत यूरोप का सपना देखने वाला प्रथम यूरोपीय विचारक विक्टर ह्यूगो (Victor Hugo) था। उसके पश्चात जीन मौन्नेट ने संयुक्त राज्य यूरोप का विचार रखा। लेकिन यूरोप के वास्तविक एकीकरण का श्रेय फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शुमन को जाता है। रॉबर्ट शुमन ने एक संगठित सत्ता के नियंत्रण में यूरोप में लोहे तथा कोयले के प्राकृतिक संसाधनों तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग के संपूर्ण साधनों को एकत्रित करके 'यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय' के गठन का प्रस्ताव रखा। यूरोप के छह देशों ने इस समुदाय के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 1957 में रोम की संधि के माध्यम से 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' तथा 'यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय' जैसी संस्थाओं ने यूरोपीय निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य व्यापार तथा सीमा शुल्क संबंधी समस्याओं को समाप्त करना था ताकि समुदाय के क्षेत्र में वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी तथा लोगों का आवागमन निर्बाध रूप से प्रारंभ हो सके। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के निर्माण के समय ब्रिटेन को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन साझा सीमा शुल्क नीति के तहत उसकी कुछ मांग थी कि ब्रिटेन के प्राचीन उपनिवेशों के साथ वरणात्मक (Selective) व्यवहार किया जाए तथा यूरोपीय बाजार को नाटो की तरह पार-अटलांटिक संस्था बनाया जाए। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डि गाल ने इन मांगों को पूर्णतः निरस्त कर दिया। ब्रिटेन ने 1959 में क्षेत्रीय आर्थिक

सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, 'यूरोपीय मुक्त व्यापार' (European Free Trade Association) नामक संस्था का गठन किया गया।

1961 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हरोल्ड मैकमिलन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा, किंतु फ्रांस के राष्ट्रपति डि गाल ने ब्रिटेन की सदस्यता रोकने के लिए 'वीटो' शक्ति का प्रयोग करने की धमकी दी। राष्ट्रपति डि गाल ने ब्रिटेन को यूरोपीय राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया तथा इसे अमरीकी महाद्वीप का विस्तार मात्र माना। डि गाल की मृत्यु के बाद फ्रांस के अगले राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पिदयू ने ब्रिटेन को सदस्यता देना स्वीकार कर लिया।

जनवरी, 1972 में हस्ताक्षरित संधियों के आधार पर ब्रिटेन, डेनमार्क तथा आयरलैण्ड 1 जनवरी, 1973 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य बन गए। 1981 में ग्रीस तथा 1986 में स्पेन तथा पुर्तगाल के शामिल होने से यूरोपीय समुदाय की संख्या 12 हो गई। यूरोपीय समुदाय में पूर्वी यूरोपीय देशों का शामिल होना समुदाय के विकास में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था। 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैण्ड तथा स्वीडन भी इसके सदस्य बन गए तथा यूरोपीय समुदाय की सदस्य संख्या 15 हो गई। मई, 2004 में समुदाय में दस सदस्यों के शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या 25 हो गई। जनवरी, 2007 में रोमानिया तथा बुल्गारिया शामिल हुए। इनके अलावा अल्बानिया, बोस्निया, क्रोशिया, टर्की, पूर्व सोवियत संघ के कुछ राज्य तथा युगोस्लाविया भी इस समुदाय का सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय समुदाय के अवरोधी तथा अनवरत विकास ने इसे एक व्यापक संस्था बना दिया। प्रारंभिक सामाजिक एकरूपता तथा समरूपता अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है।

यूरोपीय समुदाय का गठन

यूरोपीय समुदाय की स्थापना उस प्रक्रिया का परिणाम थी, जो 1951 में पेरिस की संधि से प्रारंभ हुई थी। इस सफलता ने आर्थिक सहयोग को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जिसके फलस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय की स्थापना की गई। वर्ष 1957 में यूरोपीय आर्थिक संघटन की तीन प्रमुख संस्थाओं यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय एवं यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय को परस्पर मिलाकर एक नए समुदाय का निर्माण किया गया, जिसे यूरोपीय समुदाय के नाम से जाना गया। यूरोपीय समुदाय का गठन एक विलय संधि के द्वारा किया गया, जिसे यूरोपीय समुदाय में एकल परिषद और एकल आयोग की स्थापना की संधि कहा जाता है। इस विलय संधि के अंतर्गत तीन यूरोपीय संस्थाओं की संगठनात्मक संरचनाओं को भी मिला लिया गया। इन संस्थाओं के प्रशासन के लिए एक यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय समुदायों की समिति की स्थापना की गई। विलय संधि को यूरोपीय समुदाय की वास्तविक शुरुआत माना जा सकता है।

1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन धीरे-धीरे इसके कार्यक्षेत्र का प्रसार सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों तक विस्तृत हो गया। 2002 में पेरिस की संधि की समाप्ति के पश्चात यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय का अस्तित्व भी समाप्त हो गया तथा इसकी समस्त सम्पत्ति तथा दायित्व यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सौंप दिए गए। वर्ष 1993 में मैस्टरिक संधि के माध्यम से 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' में से 'आर्थिक' शब्द हटा दिया गया और अब यह 'यूरोपीय समुदाय' के नाम से जाना गया।

यूरोपीय समुदाय यूरोपीय उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य है कि यूरोप के उत्पादक को अपने उत्पाद का सही मूल्य मिले तथा उपभोक्ता को अपने मूल्य के बदले सही उत्पाद प्राप्त हो सके। यूरोपीय समुदाय सम्पोषित विकास के प्रति भी गंभीर रूप से चिन्तित रहा है ताकि आर्थिक विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा सके। यूरोपीय समुदाय ने साझी कृषि नीति के तहत किसानों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए काफी मात्रा में आर्थिक मदद की।

एकल यूरोपीय अधिनियम

एकल यूरोपीय अधिनियम का संपूर्ण श्रेय यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जैक डेलोरस को जाता है, जिन्होंने 1985 में एक श्वेत पत्र तैयार किया था, जिसके आधार पर एकल यूरोपीय अधिनियम का निर्माण किया गया। इस अधिनियम पर 1986 में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 सदस्यों ने निश्चित समयानुसार कार्य करते हुए 1993 तक साझा बाजार निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करने का वायदा किया था। यूरोपीय संघ के गठन के पश्चात व्यक्तियों तथा वस्तुओं के आवागमन पर लगे प्रतिबंध या तो समाप्त कर दिए गए या बहुत

www.neerajbooks.com

कम कर दिए गए। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की सीमाओं पर पासपोर्ट निरीक्षण प्रक्रिया समाप्त करके समस्त सदस्य देशों के लिए एकल पासपोर्ट व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उपाधि और प्रमाणत्रों को सभी देशों में बराबर मान्यता प्रदान की गई है। हालांकि वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान पूर्णत: मुक्त नहीं हुआ है। विभिन्न देशों की मुद्राओं के स्थान पर यूरो (Euro) का प्रचलन एकल बाजार की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यूरो ने यूरोपीय संघ के देशों के नागरिकों में एकता की भावना पैदा की गई है। गैस तथा बिजली के क्षेत्र में भी एकल बाजार की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर ऊर्जा की आपूर्ति करना यूरोपीय संघ के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली गैसों का सीमित प्रयोग करने के लिए भी यूरोपीय संघ के सदस्य प्रतिबद्ध हैं। यूरोपीय संघ का प्रमुख लक्ष्य ऊर्जा के नवीन स्रोतों का विकास करना है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके। यूरोपीय संघ की परिवहन नीति का प्रमुख अंग पर्यावरण तथा ऊर्जा संरक्षण है। यूरोपीय संघ के लिए एक ऐसी परिवहन नीति की जरूरत महसूस की गई, जिससे सीमा रहित एकल यूरोपीय बाजार में वस्तुओं और व्यक्तियों का आवागमन स्वतंत्र रूप से हो सके। इसके लिए यूरोपीय संघ की रेल व्यवस्था को संघटित करने तथा इसमें सुधार लाने की जरूरत है।

यूरोपीय संघ संधि (मैस्टरिक संधि)

यूरोपीय संघ संधि जो मैस्टरिक संधि (Maastricht Treaty) के नाम से जानी जाती है, एकल समुदाय के गठन की दिशा में नया प्रयास था। इस संधि से पेरिस तथा रोम की संधियों में संशोधन किया गया तथा एकल यूरोपीय अधिनियम में प्रसार करके इसके कार्यक्षेत्र तथा इसकी गतिविधियों को काफी विस्तृत कर दिया गया। मैस्टरिक संधि में तीन प्रमुख संस्थाओं का प्रावधान किया गया यूरोपीय आर्थिक तथा वित्तीय समुदाय (Economic and Monetary Union), एक साझी मुद्रा (Common Currency) यूरो, तथा एक नियामक निकाय-यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (Single Regulatory Body–the European Central Bank)। इस संधि ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को संपूर्ण एकल आर्थिक तथा वित्तीय समुदाय में बदल दिया। प्रमुख रूप से यूरोपीय समुदाय का संबंध आर्थिक तथा व्यापारिक मामलों से था। मैस्टरिक संधि के बाद इसमें आर्थिक क्रियाकलापों के साथ-साथ राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र भी शामिल हो गए।

मैस्टरिक संधि ने यूरोपीय संघ के लिए तीन स्तंभीय संरचना प्रस्तुत की आर्थिक तथा सामाजिक नीति (Economic and Social Policy), साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति (Common Foreign and Security Policy) तथा न्याय और गृह मामले (Justice and Home Affairs)। यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली की दृष्टि से मैस्टरिक संधि 'पूरक/सहायक सिद्धांत' (Principle of Subsidiarity) पर आधारित है। इसका अभिप्राय है कि यूरोपीय संघ तथा इसकी सहायक संस्थाएं अपने स्तर पर तभी कार्य करेंगी, यदि वे राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर से ज्यादा अच्छा तथा दक्षतापूर्वक कार्य करने में सक्षम हों। यह सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि यूरोपीय संघ राष्ट्रीय सरकारों की कार्यविधि अथवा नागरिकों के जनजीवन में अनावश्यक दखल नहीं देता।

अमस्टरडम तथा नाईस संधियाँ

अक्तूबर, 1997 में अमस्टरडम संधि (Amsterdam Treaty) पर हस्ताक्षर हुए तथा मई, 1999 में अनुमोदन के पश्चात यह लागू हुई। इस संधि ने यूरोपीय समुदाय तथा यूरोपीय संघ की संधियों में संशोधन किया तथा इनकी प्रकृति को अक्षरों से अंकों में परिवर्तित करके पुन: अंकित किया। इस संधि का उद्देश्य ऐसी राजनीतिक तथा संस्थागत परिस्थितियाँ उत्पन्न करना था, जो यूरोपीय संघ को भावी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बना सकें। अमस्टरडम संधि ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस संधि ने यूरोपीय संघ के अंदर विचरण की स्वतंत्रता में भी संशोधन किया तथा इनमें वीजा, अप्रवास, शरण देने का अधिकार तथा कुछ अन्य नीतियों को शामिल किया गया। अमस्टरडम संधि में मौलिक अधिकारों के यूरोपीय घोषणापत्र पर बल दिया गया। यदि कोई सदस्य देश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे संघ की सदस्यता से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई। अमस्टरडम संधि में यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया तथा नागरिकों को यूरोपीय संघ के प्रपत्रों तक पहुँच का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इस संधि में विश्व स्तर पर यूरोपीय संघ के हितों को महत्त्वपूर्ण तरीके से सुरक्षित करने के उपाय भी सुझाए गए। इसने साझी विदेश तथा सुरक्षा नीति में भी कुछ बदलाव किए।

www.neerajbooks.com

अमस्टरडम संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता संबंधी धाराओं में भी बदलाव किया। इस संधि ने यूरोपीय तथा राष्ट्रीय नागरिकता में संबंध स्पष्ट किया। अमस्टरडम संधि ने यूरोप के नागरिकों को एक नया अधिकार प्रदान किया, जिसके तहत यूरोपीय संघ का प्रत्येक नागरिक यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद, आयोग, न्यायालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद अथवा क्षेत्रीय समिति के साथ किसी भी भाषा में पत्र-व्यवहार कर सकता है तथा उसे उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा।

दिसम्बर, 2000 में नाईस संधि (Nice Treaty) के अंतर्गत यूरोपीय संघ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिसके तहत यूरोपीय संघ के नागरिकों को और मजबूत किया गया। नाईस संधि पर फरवरी, 2001 में हस्ताक्षर हुए तथा विभिन्न सदस्य देशों की संसदों द्वारा पारित होने के बाद यह फरवरी, 2003 में लागू हुई। नाईस संधि के इस घोषणापत्र में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, नागरिक अधिकार तथा न्याय जैसे छह भाग हैं। घोषणापत्र के अनुच्छेद 54 में यूरोपीय संघ के मौलिक मूल्यों तथा यूरोपीय नागरिकों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नाईस संधि का उद्देश्य यूरोपीय संस्थाओं को यूरोपीय संघ में होने वाले अधिक प्रसार के लिए तैयार करना है। नाईस संधि ने संस्थागत सुधारों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया, यह केवल संस्थाओं की रचना तथा कार्यों में सीमित समायोजन करके सहयोग बढ़ाने तक ही सीमित थी। नाईस संधि के प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान में यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों की जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किए गए मतों की कुल संख्या 321 है।

पेरिस की संधि (1951) से लेकर नाईस संधि (2001) तक यूरोपीय संघ की सात संधियां हो चुकी हैं। इन्होंने यूरोपीय संघ के प्रावधानों तथा संरचनाओं को अत्यधिक जटिल बना दिया है। इन समस्त संधियों के सम्मिलित रूप को यूरोपीय संघ की समेकित संधि के नाम से जाना जाता है। नाईस संधि यूरोपीय संघ की सबसे पुरानी तथा सुधारक संधि है, यूरोपीय समुदाय की पुरानी संधियों को सम्मिलित करके इनका समेकित रूप तैयार किया गया है।

यूरोपीय संघ कानून के शासन की मान्यता पर आधारित है। इसके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य संधियों पर आधारित हैं, जो सभी सदस्य देशों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार की गई हैं। सामाजिक बदलाव के साथ-साथ पुरानी संधियों में संशोधन करके उन्हें भी समकालीन बनाया गया है। वर्तमान में जिस नई संधि का प्रारूप तैयार किया गया है उसका लक्ष्य यूरोपीय संघ का संविधान निर्माण करना है, जो समस्त संधियों को एक ही प्रापत्र में समाहित कर देगा।

स्वपरख अभ्यास-प्रश्न

प्रश्न 1. यूरोपीय विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए यूरोपीय संघटन संबंधी विचार का वर्णन कीजिए।

उत्तर यूरोपीय एकीकरण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से यूरोप में राज्यों की औद्योगिक, राजनीतिक, कानूनी तथा आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया है। एकीकृत यूरोप का सपना देखने वाला प्रथम यूरोपीय विचारक विक्टर ह्यूगो था। उसके बाद संयुक्त राज्य यूरोप का विचार जीन मौन्नट ने प्रस्तुत किया। लेकिन यूरोपीय समुदाय की नींव रखने का कार्य फ्रांस के विदेशमंत्री रॉबर्ट शुमन द्वारा किया गया। रॉबर्ट शुमन ने संगठित सत्ता के नियंत्रण में यूरोप के लोहे तथा कोयले के प्राकृतिक संसाधनों तथा लौह एवं इस्पात उद्योग के समस्त साधनों को एकत्रित करके यूरोपीय तथा इस्पात समुदाय के गठन का सुझाव प्रस्तुत किया। इस योजना को 'शूमन योजना' भी कहा जाता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैण्ड तथा लग्जमबर्ग इन छह यूरोपीय देशों ने इस संस्था की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा 1951 में इसके लिए पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर भी किए।

यूरोपीय संघटन में आगामी प्रयास 1957 की रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय का था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उद्देश्य पश्चिम यूरोप के लिए साझा बाजार की स्थापना करना था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना के समय ब्रिटेन को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन साझा सीमा शुल्क नीति को लेकर ब्रिटेन की कुछ आशंकाएं थीं। ब्रिटेन का मानना था कि उसके पुराने उपनिवेशों के साथ वरणात्मक व्यवहार किया जाए तथा यूरोपीय साझा बाजार को नाटो की तरह पार-अटलांटिक संस्था बनाया जाए। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन प्रस्तावों को पूरी तरह निरस्त कर दिया। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1959 में यूरोपीय मुक्त व्यापार नामक एक अलग संस्था का